कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :...../सम्ब. अनु./2019

दिनांक :

महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबंधक/प्राचार्य,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के आदेश संख्या ए0एफ0/23137–40 दिनांक 16.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 729(एस/एस)/2012 डॉ0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में योजित अवमानना याचिका संख्या 2604/2018 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या 392(1)/सत्तर–2–2018 दिनांक 10.09.2018 में वर्णित प्राविधानों को कड़ाई से पालन करने हेतु आपसे अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में यह संज्ञान में लाया गया है कि महाविद्यालयों द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2018 में वर्णित प्राविधानों को अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या संख्या : 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013, दिनांक 30 मई, 2013 एवं पत्र संख्या 392(1)/सत्तर–2–2018 दिनांक 10.09.2018 (छायाप्रतियां संलग्न) में वर्णित प्राविधानों को कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव

संख्या : AF/5989–92 दिनांक : 25/03/19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आशियाना, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त शासनादेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथोचित् कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. इंचार्ज, वेबसाइट/ कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को पत्र दिनांक 16.10.2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव

1986
14 SEP 2018

अवमाननावाद/समयबद्ध

संख्या–392/सत्तर–2–2018–18(31)/2018

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

DR-452
15.9.18

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2018

विशय:–उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यकम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या–729(एस0बी0)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–03–2013 के अनुपालन हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या–2604/2018 डा0 नीरज श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–05–2018 का कियात्मक अंश निम्नवत् है:–

The applicant shall provide a copy of the paperbook to Sri K.R. Singh, the learned Additional Chief Standing Counsel who shall in consequence obtain instructions from the opposite parties in respect of the allegations of non compliance.

The applicant who appears in person alleges non compliance of the general directions issued by a Division Bench of the Court while disposing of a writ petition instituted before the Lucknow Bench. The issue of non compliance is with respect to the grant of minimum pay scale even to those teachers who are appointed under Self Financing Courses. The applicant has also drawn the attention of the Court to the affidavit tendered by the then Principal Secretary in those proceedings before the Lucknow Bench wherein it was noted that the opinion of the Finance Department was to be obtained in order to evaluate the proposal of the Director of Higher Education for grant of minimum salary to teachers of Self Financing Courses. According to the applicant the general mandamus so issued has not been complied with tilldate.

O.C.(Affn)
15/9/18
DR-Affiliation
तत्काल नियमानुसार प्रस्तुत करें
14/09/2018
Registrar.

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या–729 (एस0बी0)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–03–2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय को स्वत्तिपोषित पाठ्यकमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कतिपय मार्गदर्शन/दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, जिनमें निम्नलिखित बिन्दु भी सम्मिलित है:-

(1) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्न पाठ्यकमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

(2) स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2000- 2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पांच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो ओर उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात उनकी संविदा को अगले पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तद्क्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

आप से अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30-05-2013 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-392. (1)/सत्तर-2-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

07

संख्या–968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 1495 /रा0उ0शि0प0/2013
दिनांक 05/06/2013

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2013

विषय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन भुगतान व अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या–729(एस/बी)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिनांक 01.03.2013 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके कियात्मक अंश का सुसंगत भाग निम्नवत् है:–

53. We have noticed that not only in the respondent's college, but inother colleges of the State of U.P., the students are admitted without following the norms prescribed by the Statute as well as the UGC. Accordingly, we are of the view that the Government should look into it and appropriate orders/circulars should be issued immediately commanding different universities and colleges aided as well as non aided, containing following directions:-

(iii) All those courses which are open under self-financing scheme, the universities as well as colleges shall at least pay minimum pay scale admissible to teachers in accordance with Rules. The services of teachers appointed under the self-financing scheme, should be permitted to continue till continuance of course or satisfactory discharge of duty.

(iv) Since 2000 and onward, the Government has stopped the grantin aid and sanction of new course, even then Government shall ensure that Committee of Managements do not exploit the teachers and pay reasonable salary in contractual and ad hoc appointments in the recognised and affiliated colleges.

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या–1726/सत्तर–2–2011–16(409)/2010,दिनांक 15 जुलाई, 2011 एवं शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2011–16(409)/2010, दिनांक 23 अगस्त, 2011 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यकम में शिक्षकों की चयन प्रकिया, उनका वेतन निर्धारण एवं अर्हताओं आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त/दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

(3) अत: मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों में कार्यरत शिक्षकों के समस्याओं के निराकरण हेतु पुन: निम्नवत् मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्नपाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 9 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पांच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् उनकी संविदा को अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तद्क्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।
3. महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम से संबंधित खाता पृथक होगा जिस खाते का आवश्यक रूप से वार्षिक आडिट कराया जायगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विश्वविद्यालय/शासन को आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायगी।
4. सभी अनुदानित महाविद्यालयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन संविदा पर रखे गये कार्यरत शिक्षकों से कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरियेंटेशन/वर्कशाप में भाग लेने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
5. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों हेतु शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97,दिनांक 09 मई, 2000 में सी0पी0एफ0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किया जाना प्राविधानित है। ऐसे शिक्षक जिस दिनांक से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस तिथि/माह से सी0पी0एफ0 योजना लागू की जाय तथा प्रत्येक वर्ष सी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि की सालाना सूचना विश्वविद्यालय एवं शासन को प्रेषित की जायेगी।
6. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हैं उनके खोले जाने की अनुमति शासन से दी जाती है अतः यदि किसी पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या शून्य हो जाती है तो महाविद्यालय अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति से ही ऐसे पाठ्यक्रम को बन्द किया जा सकता है। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2007–2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के जारी होने की तिथि से लागू किया जाये।

(4) उक्त प्राविधान अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित संकायों एवं पूर्णतः स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर लागू होंगे।

(5) उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

(6) कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। यदि कोई संस्था उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते या अनुपालन न करते पाया जायेगा तो, उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक एवं सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

डा0(रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या–968(1)/सत्तर–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे सभी महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दें।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को भी इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
5. वेब मास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डा0(रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।